	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 12, शुक्रवार, *शाके* 1945-जून 02, 2023 *Jyaistha 12, Friday , Saka 1945- June 02, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 31, 2023

संख्या प. 20 (2) गृह-9/2012पार्ट2 :-यतः राज्य सरकार की यह राय है कि 108 आपात कालीन सेवाओ के साथ साथ 104 जननी एक्सप्रेस सेवा, 104 चिकित्सा परामर्श सेवाओं एवं कॉल सेन्टर में हडताल होने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा और उसके परिणामस्वरूप समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पडेगा।

अतः अब राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप खण्ड (iV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से 108 आपात कालीन सेवाओ के साथ साथ 104 जननी एक्सप्रेस सेवा, 104 चिकित्सा परामर्श सेवाओं एवं कॉल सेन्टर सेवाओं जिनका संचालन सेवा प्रदाता कम्पनी जीवीके ईएमआरआई के माध्यम से इनिटग्रेटेड एम्बूलेंस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है के समस्त कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओ को एतद्वारा दिनांक 31.05.2023 से आगामी छः माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

मुकेश पारीक,
शासन उप सचिव, गृह।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 31, 2023

संख्या प. 20 (2) गृह-9/2012पार्ट2 :- यतः राज्य सरकार ने राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 ¼1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप धारा-(1) के खण्ड (क) के उप खण्ड (iV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31-05- 2023के द्वारा 108 आपात कालीन सेवाओ के साथ साथ 104 जननी एक्सप्रेस सेवा 104 चिकित्सा परामशZ सेवाओं एवं कॉल सेन्टर की सेवाओं को दिनांक 31-05- 2023 से आगामी 06 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है।

यत राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 3 की उपधारा (1) की शक्तियों को प्रयोग करते हुये 108 आपात कालीन सेवाओ के साथ साथ 104 जननी एक्सप्रेस सेवा 04 चिकित्सा परामर्श सेवाओं एवं कॉल सेन्टर की सेवाओं में हडताल किये जाने को एतद्द्वारा दिनांक 31.05. 2023से आगामी 06 माह तक के लिये प्रतिषेध करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

मुकेश पारीक,
शासन उप सचिव, गृह।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।